292

rī-

(ब)

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

आदेश

क्रमांक - प.5(3)नपिवि/3/99

जयपुर, विश्वाक 4-10-2002.

प्रियंगन दरों को सामलों में अवाप्तशुदा भूमि की नियमन दरों को () औचित्यपूर्ण बनाने एवं अन्य बिन्दुओं पर जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा था। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया जा चुका है। तदनुसार विभाग के रागरारणक परिपत्र दिनाक 26.5.2002 में आशिवः संसोधन करते हुए निन्न निर्देश जारी किये जाते हैं :--

 अधिग्रहित भूमियों पर बन्ती कॉलोनियों की नियमन दर्श बाबत -- भूमि अंधिग्रहण के निम्मप्रकार के मामलों में सामान्ध नियमन दर के अतिरिक्त 30/-क्र. लिये जाकर नियमन किया जावें।

(अ) भूमि अवाप्ति के जिन प्रकरणों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाकर मेपर पजेशन ले लिया गया है परन्तु मुआवजा राशि का भुगतान खातेदार को नहीं किया गया तथा ना ही न्यायालय में जमा कराया गया हो।

दिनांक 17.6.1999 से पूर्व भू-अधिग्रहण किये गये ऐसे प्रकरण जिनमें • भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाकर पेपर पजेशन लिया गया एव मुआवजा रागि को संबंधित न्यायालय में जमा करा दिया गया मगर संबंधित खातेदार को भुगतान नहीं हुआ हो।

(स) भू-अभिग्रहण की कार्यवाही करने के आधार पर अधिग्रहित भूमि राजरव रिकार्ड में नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गयी हो परन्तु इस भूमि का प्राधिकरण द्वारा न तो कब्जा लिया गया है और न ही अवार्ड राशि का मुगतान खातेदार या न्यायालय में किया गया है।

उक्त प्रावधान लालकोठी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग की योजनाओं (आदिनाथ नगर, गोकुल वाटिका, विनोबा नगर, शक्ति नगर, अशोक विहार, महालेखापाल की विवके विहार), मालवीय नगर की योजना (युर्गा विहार), जवाहर संकिल क्षेत्रों की योजना (रघुन अपुरी, सिद्वार्थ नगर) में लागू नहीं होंगे तथा गह दरें ऐसी कॉलोनियों में जिनकी दर राज्य सरकार/समझौता समिति द्वारा अलग से तय की गयी हो, में भी लागू नहीं होगी।

2. <u>राजरथान आवासन मण्डल, रीको तथा अन्य संरथाओं की अधिग्रहित</u> भूगि के संबंध में – राजरथान आवासन मण्डल, रीको व अन्य संरथाओं द्वारा अधिग्रहित भूमियाँ जिन पर कॉलोनियों वस चुकी है उनका नियमन अन्य अवाप्राणदा भूमियों के अनुसार पैरा एक में वर्णित दर ली जाकर नियमन किया जा – ते । यदि राजरथान आवासन मण्डल, रीको या अन्य संरथाओं द्वारा भूमि

351)

का मुआवजा काश्तकारों को दिया जा चुका है तो उस राशि को जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निकाय द्वारा संबंधित संस्था को बिना ब्याज के लौटाया जायेगा तथा कॉलोनियों का विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निकाय द्वारा करवाया जावेगा।

1----

3 <u>गैर खातेदारी भूमियों के सबंध में</u> – गैर खातेदारी भूमियों के संबंध में नियभन दरें खातेदारी भूमियों के समान ही लागू होगी।

4. <u>1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत पूर्व में देय नियमन राशियों के</u> संबंध में – जिन प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्त (शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं गाणिज्यिक तथा जन उपयोगी उद्धेश्यों के लिए आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम 1981 के तहत 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा नियमन राशि पूर्व की दरों पर जमा कराई गई हो, उनमें पूर्व दर्भ नियमन दरों के अनुसार शेष राशि की गणना की जाकर मय 12 प्रतिशत व्याज प्रतिवर्ष लिया जाकर नियमन किया जायेगा।

जिन प्रकरणों में 50 प्रतिशत से कम राशि जमा कराई गई उनमे जमा कराई गई राशि पर 12 प्रतिशत को दर से ब्याज की गणना की जाकर जमा कराई गयी राशि मय व्याज तथा वर्तमान दरों की राशि का जो अन्तर होगा उसके अनुसार शेष राशि जमा कराई जाकर नियमन किया जायेगा।

5. <u>फार्म हाउसेज की मूमियों के संबंध में</u> – फार्म हाउस की मूमि का न्यूनतम आकार 3000 वर्गमीटर होगा तथा इनमें विल्टअप ऐरिया 5 प्रतिशत होगा। अत फार्म हाउस में केवल बिल्टअप ऐरिया (5 प्रतिशत) पर ही जयपुर में 300/– रूपये प्रति वर्गमीटर सामान्य नियमन दर देय होगी। ((), (), (), ())

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निगलिखित को सूचनार्थ एवं आवस्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है – विशिष्ठ सहायक, गृह मंत्री, राजस्थान सरकार। 1. विशिष्ठ सनायक, वित्त मंत्री, राजस्थान सरकार। 2. विशिष्ठ सहायक, संगरीय विकास मंत्री, राजस्थान सरकार। 3. निजी सचिव. भुख्य सचिव. राजस्थान सरकार। निजी सचिव, प्र. शासन सचिव, वित्त विभाग। 4. 5. निजी सचिव, शासन सचिद, नगरीय विकास विभाग। 6. निजी सचिव, सचिव(प्रथम), मुख्यमंत्री जी। 7. निजी सचिव, सचिव(द्वितीद्ध), मुख्यमंत्री जी। आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। 8. 9 भुख्यं नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर। 10. निरेशक, स्थानीय निकाय विमाग, राजस्थान, जयपुर। 11. सचिव. नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान। 12.

तपी शासन राचित